रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072024-255091
CG-DL-E-02072024-255091

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]	नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2024/आषाढ़ 11, 1946
No. 337]	NEW DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2024/ASHADHA 11, 1946

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 360(अ).—ओषधि नियम, 1945 की धारा 33ढ की अपेक्षानुसार ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 98(अ) तारीख 2 फरवरी, 2024 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, नियमों का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 5 फरवरी, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 6(2), धारा 12, धारा 33 और धारा 33ढ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी ओषधि तकनीकी

सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श के पश्चात् ओषधि नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओषधि (चौथा संशोधन) नियम, 2024 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ओषधि नियम,--

(क) नियम 170 का लोप किया जाएगा ।

(ख) अनुसूची क में प्ररूप 26 ङ4 और प्ररूप 26 ङ5 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. टी-11011/05/2019-डीसीसी(आयुष)]

बी.के. सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण.-मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. 28-10/45-एच(1) तारीख 21 दिसंबर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 293(अ) तारीख 28 मई, 2024 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2024

G.S.R. 360(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Drugs Rules, 1945, was published as required under section 33N of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) (hereinafter referred to as the said Act), vide notification of the Government of India in the Ministry of Ayush, number G.S.R. 98(E), dated the 02nd February, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, the copies of said Official Gazette were made available to the public on the 5th February, 2024;

And Whereas, objections and suggestions received from the public on the said rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6(2), 12, 33 and 33N of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Ayurveda, Siddha, Unani Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs Rules, 1945, namely:-

1. Short title, and commencement: - (1) These rules may be called the Drugs (Fourth Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs Rules,-

(a) rule 170 shall be omitted.

(b) in SCHEDULE A, FORM 26 E4 and FORM 26 E5 shall be omitted.

[F. No. T-11011/05/2019-DCC(AYUSH)]

B.K.SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, vide, notification No. F. 28-10/45-H(1), dated the 21st December, 1945 and last amended, vide, notification number G.S.R. 293(E), dated the 28th May, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.